

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दमा नम्बर 248/2019

दायर दिनांक-12.12.2019

1. मूलचंद पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी चारा का बास तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

-वादी

बनाम

1. जगदीश पुत्र धन्ना
2. बनवारी पुत्र जालू
3. बीरबल पुत्र धन्ना
4. मनभरी पत्नी धन्ना
5. मामराज पुत्र जालू
6. रमेश पुत्र फूलाराम
7. रामकरण पुत्र हीरा
8. श्रीराम पुत्र रामदेवा
9. विनोद पुत्र रामदेवा
10. शुभकरण पुत्र फुला समस्त जाति जाट निवासी चारा का बास तन परसरामपुरा तहसील नवलगढ़।
11. राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
12. बैंक ऑफ बडौदा शाखा उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
13. बैंक ऑफ बडौदा शाखा नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
14. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
15. तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

-प्रतिवादीगण

वकील वादी : - श्री सज्जन कुमार चाहर

वकील प्रति. नं. :- श्री विप्लव पंडित

दावा बाबत विभाजन

--: निर्णय ::-

दिनांक : 18.12.2024

वाद वादी दिनांक 6.11.2023 को प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाकर तहसीलदार नवलगढ़ को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं मुताबिक निर्णय पक्षकारान की मौजूदगी में कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पालना प्रस्तुत करने बाबत आदेशित किया गया। तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव जरिये पत्रांक: भू0 अ0/2023/1295 दिनांक 30.04.2024 द्वारा प्रस्तुत करने पर बहस विभाजन प्रस्ताव वकील उभय पक्ष सुनी गई। वाद का निर्णय मुताबिक विभाजन प्रस्ताव किया जाना उचित है। पत्रावली व विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम भरवाड़ी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 195 रकबा 2.3900 है0 भूमि में निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

क्र. स.	घोषित खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	मूलचंद पुत्र भूराराम जाति जाट साकिन परसरामपुरा खातेदार	195/1	0.57	चाही 1 0.20 बरानी 1 0.37
		195/5	0.58	चाही 1



सु. सी. इ. एस. (आर. ए. एस.)
नवलगढ़

<p>जगदीश पुत्र धन्ना हिस्सा 1/18 बिरबल पुत्र धन्ना हिस्सा 11/63 मनभरी पत्नि धन्ना हिस्सा 1/18 झिमकोरी पत्नी फूलाराम हिस्सा 1/24 रमेश कुमार पुत्र फुलाराम हिस्सा 1/24 शुभकरण पुत्र फुलाराम हिस्सा 1/6 बनवारी पुत्र जालू हिस्सा 1/8 मामराल पुत्र जालू हिस्सा 1/8 रामकरण सिंह पुत्र हीना हिस्सा 1/6 विनोद कुमार पुत्र रामदेवाराम हिस्सा 1/42 श्रीराम सिंह पुत्र रामदेवाराम हिस्सा 1/42 जाति जाट साकिन परसरामपुरा खातेदार राहिन बदस्तुर।</p>	<p>195/2 195/4 195/6</p>	<p>0.64 0.26 0.25</p>	<p>चाही 1 0.53 बारानी 1 0.11 बारानी 1 चाही 1</p>
<p>3. मूलचंद पुत्र भूराराम हिस्सा 1/2 जगदीश पुत्र धन्ना हिस्सा 1/36 बिरबल सिंह पुत्र धन्ना हिस्सा 11/126 मनभरी पत्नी धन्ना हिस्सा 1/36 झिमकोरी पत्नी फूलाराम हिस्सा 1/48 रमेश कुमार पुत्र फुलाराम हिस्सा 1/48 शुभकरण पुत्र फुलाराम हिस्सा 1/12 बनवारी पुत्र जालू हिस्सा 1/16 मामराज पुत्र जालू हिस्सा 1/16 रामकरण सिंह पुत्र हीरा हिस्सा 1/12 विनोद कुमार पुत्र रामदेवाराम हिस्सा 1/84 श्रीराम सिंह पुत्र रामदेवाराम हिस्सा 1/84 जाति जाट साकिन देह खातेदार</p>	<p>195/3</p>	<p>0.09</p>	<p>चाही 1 0.06 (गैर मुमकिन रास्ता) बारानी 1 0.03 (गैर मुमकिन रास्ता)</p>

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। उक्त निर्णय से यदि पक्षकारान् संतुष्ट नहीं है तो पक्षकारान् अपीलीय न्यायालय में अपील दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगा। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 18.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट-ट्रक) नवलगढ जिला बुधनू

(ओ 20 रूल्स 6-7 जाप्ता दिवानी)
ज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ
पीठासीन अधिकारी :- सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)
मुकदमा नम्बर 248/2019

दावा : विभाजन

(मूलचंद बनाम जगदीश आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी वकील वादीगण मनजानिव मुद्दई रूबरू वकील/प्रतिवादीगण मनजानिव- मुद्दालय पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 18.12.2024 निर्णय वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा। राजस्व ग्राम भरवाड़ी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 195 रकबा 2.3900 है0 भूमि में निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है:-

क्र. स.	घोषित खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म
1	मूलचंद पुत्र भूराराम जाति जाट साकिन परसरामपुरा खातेदार	195/1	0.57	चाही 1 0.20 बरानी 1 0.37
2	जगदीश पुत्र धन्ना हिस्सा 1/18 बिरबल पुत्र धन्ना हिस्सा 11/63 मनभरी पत्नी धन्ना हिस्सा 1/18 झिमकोरी पत्नी फूलाराम हिस्सा 1/24 रमेश कुमार पुत्र फूलाराम हिस्सा 1/24 शुभकरण पुत्र फूलाराम हिस्सा 1/6 बनवारी पुत्र जालू हिस्सा 1/8 मामराल पुत्र जालू हिस्सा 1/8 रामकरण सिंह पुत्र हीना हिस्सा 1/6 विनोद कुमार पुत्र रामदेवाराम हिस्सा 1/42 श्रीराम सिंह पुत्र रामदेवाराम हिस्सा 1/42 जाति जाट साकिन परसरामपुरा खातेदार राहिन बदस्तुर।	195/5 195/2 195/4 195/6	0.58 0.64 0.26 0.25	चाही 1 चाही 1 0.53 बारानी 1 0.11 बारानी 1 चाही 1
3.	मूलचंद पुत्र भूराराम हिस्सा 1/2 जगदीश पुत्र धन्ना हिस्सा 1/36 बिरबल सिंह पुत्र धन्ना हिस्सा 11/126 मनभरी पत्नी धन्ना हिस्सा 1/36 झिमकोरी पत्नी फूलाराम हिस्सा 1/48 रमेश कुमार पुत्र फूलाराम हिस्सा 1/48 शुभकरण पुत्र फूलाराम हिस्सा 1/12 बनवारी पुत्र जालू हिस्सा 1/16 मामराज पुत्र जालू हिस्सा 1/16 रामकरण सिंह पुत्र हीरा हिस्सा 1/12 विनोद कुमार पुत्र रामदेवाराम हिस्सा 1/84 श्रीराम सिंह पुत्र रामदेवाराम हिस्सा 1/84 जाति जाट साकिन देह खातेदार	195/3	0.09	चाही 1 0.06 (गैर मुमकिन रास्ता) बरानी 1 0.03 (गैर मुमकिन रास्ता)

तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त कर राजस्थान लैण्ड रेकार्ड रूल्स 1957 के नियम 62 के अनुरूप बटा नम्बर को संशोधित कर अमल दरामद किया जावे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 18.12.2024 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट-ट्रेक) नवलगढ मुकाम बईजलास नवलगढ